Seventeenth Loksabha

an>

Title : Need to include treatment of autism and cerebral palsy in the CGHS list

श्री सुब्रत पाठक (कन्नौज): माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान देश में ऑटिज्म (AUTISM) और सेरेब्रल पाल्सी (CEREBRAL PALSY) के मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। एक आंकड़े के अनुसार हमारे देश भारत में दस वर्ष से कम उम्र के हर 100 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। स्वास्थ्य मंत्रालय को इस दिशा में कारगर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अब तक ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी को सीजीएचएस की सूचीबद्ध बीमारियों के पैनल में शामिल नहीं किया गया है, जिससे सरकारी क्षेत्र के कर्मियों को अपने ऊपर ही निर्भर रहकर इलाज कराना पड़ता है और लोगों को इलाज कराने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

इस इलाज में मरीजों के थेरेपी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अतः इससे संबंधित थेरेपी को भी सीजीएचएस के अंतर्गत लाने का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे देश के कुछ संस्थानों में ऑटिज्म पीड़ित बच्चों का स्टेम सेल थेरेपी (Stem Cell Therapy) के माध्यम से आधुनिकतम तरीके से इलाज हो रहा है, लेकिन इस इलाज में अधिक खर्च होता है जिसे वहन करना सभी माता-पिता और अभिभावक के लिए आसान नहीं होता है। इसलिए इस बीमारी को अविलंब सीजीएचएस की सूचीबद्ध बीमारियों के पैनल में शामिल किए जाने की आवश्यकता है ताकि लाभार्थियों को ऑटिज्म पीड़ित अपने बच्चों का इलाज कराने की अनुमति मिल सके।

इसके अलावा आपके माध्यम से मेरा यह भी अनुरोध है कि ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी को सीजीएचएस के साथ-साथ अनिवार्य रूप से निजी चिकित्सा बीमा योजना में भी शामिल किया जाए जिससे देश के लाखों लोगों को इसका लाभ मिल सके।

*m02 **माननीय सभापति:** अभी माननीय विदेश मंत्री जी का राज्य सभा में वक्तव्य चल रहा है। उसमें उनको कुछ समय लग सकता है। तब तक हमारे कुछ माननीय सदस्य, जो शून्य प्रहर में बोलने से वंचित रह गए थे, हम उनको बोलने का कुछ अवसर देते हैं।